पत्रांक २१७०/नि० ....

दिनांक २५.१०.१३

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर

<u>बन्दोबस्ती आम सूचना–2014–16</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, मुंगेर के कंपनी बाग फल डाक का बन्दोबस्ती वर्ष 2014 के दिनांक 01/04/2014 से 31 मार्च 2016 तक के लिए खुली डाक द्वारा सैरात के सामने अंकित तिथि एवं समय पर नगर निगम कार्यालय, मुंगेर के सभा भवन में निम्नलिखित शर्त्तो पर दो वर्षो के लिए डाक बन्दोबस्ती की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर सार्वजनिक डाक में भाग ले सकते हैं।

क्रमांक	परिसम्पति का विवरणी	सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि	डाक की तिथि एवं समय
01	कंपनी बाग फल डाक का बन्दोबस्ती	1,24,850/– (दिनांक01/04/2014 से 31/03/2016 तक)	31,213/–	25 / 11 /2013 को अपराह्न 12:30 बजे से

आवश्यक शर्त्तें :–

1. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक बोलने के पूर्व अपना आवासीय पता प्रखंड पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी/ जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की छायाप्रति जमा करना अविर्य होगा।
2. डाक में भाग लेने के पूर्व डाक वक्ता की सुरक्षित जमा राशि 1,24,850/– रूपये का चौथाई भाग मो0 31,213/– रूपये प्रतिभूति (जमानत) की राशि नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा, यह राशि केवल उच्चतम डाकवक्ता को छोड़कर अन्य डाक वक्ता को डाक समाप्त होने के पश्चात वापस कर दी जाएगी।
3. उच्चतम डाक वक्ता को बनदोबस्ती दी जाएगी तथा डाक समाप्ति के तुरंत बाद डाक की सम्पूर्ण राशि में से जमानत की राशि का समायोजन करने के बाद बचे शेष डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. सक्षम पदाधिकारी जो डाक की स्वीकृति प्रदान करेगें उन्हें यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि अपरिहार्य कारणों से डाक को अस्वीकृत कर दें अथवा प्रश्नगत डाक से हटा लें।
5. बाग के बीचों–बीच गुजरने वाले नाले के रख–रखाव एवं साफ–सफाई की जिम्मेवारी डाकधारी की होगी।
6. सभी तरह के विवादों का निपटारा नगर आयुक्त स्तर से ही मान्य होगा एवं उनका निर्णय अन्तिम होगा।
7. बाग के अन्तर्गत जंगली घास, झाड़ आदि की चिनाई, साफ–सफाई एवं लगाये गये वृक्ष एवं पीलर–तार की सुरक्षा एवं रख–रखाव, वार्शिक रंग–रोगन (वृक्ष सहित) आदि रख–रखाव की जिम्मेवारी डाकधारी की अनिवार्य होगी। इसमें विफल होने पर उसी समय बिना शर्त्त बन्दोबस्ती रद्ध कर दी जाएगी, तथा जमा की गई राशि जप्त कर ली जाएगी।
8. इण्डियन स्टाम्प एक्ट के सिड्यूल–1A के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण स्वीकृत बन्दोबस्ती की राशि के 3 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा स्वीकृत बन्दोबस्तदार को करना अनिवार्य होगा।

२५.१०.१३

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर।